

मलयालम, मराठी, उडिया, पंजाबी, तेलुगु और उर्दू रूपान्तर पहले ही प्रकाशित कर दिया है। खण्ड ने मलयालम, मराठी और गुजराती में संविधान के द्वितीय पुनरीक्षित संस्करण भी प्रकाशित कर दिये हैं। संविधान के कानून रूपान्तर का द्वितीय पुनरीक्षित संस्करण अभी हाल ही में प्रकाशित किया गया है। संविधान के संस्कृति रूपान्तर, संविधान के द्वितीय पुनरीक्षित उर्दू रूपान्तर और हिन्दी में संविधान (जैवी संस्करण) के पुनरीक्षित अद्यतन रूपान्तर के शीघ्र विमोचन की संभावना है। संविधान के तमिल रूपान्तर से सम्बन्धित कार्य, राजभाषा खण्ड के कुछ वर्ष पहले ही पूरा कर लिया गया था और तब से वह राज्य सरकार के विचाराधीन है। संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित शेष दो भाषाओं में, अर्थात्, सिंधी और कश्मीरी में, रूपान्तर से सम्बन्धित कार्य चल रहा है।

(ग) संविधान के विभिन्न भाषाओं में रूपान्तर के विमोचन के अवसर पर दिखाया गया उत्साह, उनका विक्रय और पुनरीक्षित संस्करणों की बढ़ती हुई मांग इस बात के द्योतक हैं कि उक्त प्रकाशनों का स्वागत हुआ है। उन विभिन्न भाषाओं में, जो काफी समय के विधिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नहीं हुई हैं, संविधान के रूपान्तर तैयार करना निश्चय ही एक अग्रणी कार्य माना जाना चाहिए और खण्ड को, इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों से प्रोत्साहन और सुधार के लिए, मुझाव प्राप्त हो रहे हैं। पुनरीक्षित संस्करण के तैयार करते समय, इन मुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

भारत के संविधान का संस्कृत रूपान्तर

2258. श्री शिव कुमार मिश्र :

श्री सोहन लाल घूसिया :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के संविधान के संस्कृति रूपान्तर की प्रतियां छपकर कब से तैयार पड़ी हैं ; और

(ख) सरकार इसके विमोचन के लिए क्या कार्यवाही कर रही है और इसे

विक्री के लिए जनता को कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) भारत के संविधान के संस्कृत रूपान्तर की मुद्रित प्रतियां 16-3-1985 को प्राप्त हुई थीं। इन प्रतियों की सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात् जो शुद्धिपत्र तैयार किया गया है उसका मुद्रण किया जा रहा है। संविधान के संस्कृत रूपान्तर और संविधान के उर्दू रूपान्तर के द्वितीय (अद्यतन) संस्करण तथा संविधान (जैवी संस्करण) के अद्यतन हिन्दी रूपान्तर के उपयुक्त समारोह में, शीघ्र विमोचन की संभावना है। उसके पश्चात् उक्त प्रकाशनों को विक्रय के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

Allotment of Maruti cars in the country

2259. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) what is the number of persons registered for Maruti cars in the year 1982 in each city in the country;

(b) the number of persons who have so far been allotted Maruti cars in each city;

(c) the number of persons in each city proposed to be allotted Maruti cars during 1985-86;

(d) by when all the persons registered for Maruti cars in 1982 are likely to be allotted the cars;

(e) what is the annual manufacturing capacity of these cars at present and for the next two years; and

(f) what is the foreign and indigenous components in terms of percentage in the manufacture of the car and by when it will become completely indigenous?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY AFFAIRS (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) to (c) The